कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा

Office of the Executive Engineer , PWD, Almora Uttarakhand
E-mail:eepdalmora@rediff.com

पत्रांक 413 /7 सी0 दिनांक 13 फरवरी 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषयः जनपद–अल्मोड़ा में मजखाली –दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी ग्राम तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.638 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Proposal No-FP/UK/ROAD/ 39213/2018)

सन्दर्भः आपका पत्र सं0 3872/12–1(2) दिनॉक 03.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में भारत सरकार का पत्र संख्या 08बी/यू0सी0पी0/06/104/2020/एफ0सी0/2036 दिनॉक 28.12.2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन इस कार्यालय के पत्र सं0 1777/7सी0 दिनॉक 17.06.2021 को प्रेषित किया गया है पुनः बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित हैः–

क्रम सं0	अधिरोपित शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	**शर्त संख्या–1** के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
2.	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद वन भूमि सौंपी जाएगी।	**शर्त संख्या–2** शर्त सं0 2 से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः** **क)**प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1276 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव @ CA rate for 1.276 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एक प्लांटेशन से बचा जायें।	**शर्त संख्या–3(क)** के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु धनराशि रू 430247.00 (चार लाख तीस हजार दो सौ सैतालीस मात्र) की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक नं0 3)।

	ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एंव क्षेत्र का नाम इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	यह बिन्दु आपके प्रभाग से सम्बन्धित है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लाग वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	**शर्त संख्या–4** से प्रयोक्ता एजेंसी सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या :202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक–30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt) दिनांक–18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक–03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक–05.02.2009 में जारी दिषानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.638 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	**शर्त संख्या–5(क)** के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू 4,19,166.00(चार लाख उन्नीस हजार एक सौ छियासठ) की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक नं0 3)।
	ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	**शर्त संख्या–5(ख)** के अनुपालन में एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धित बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है(संलग्नक नं0 4)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 43 वृक्षों से अधिक की नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई लागत जमा की जाएगी।	**शर्त संख्या–6** के अनुपालन में 43 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
7.	State Govt. will inform to this office if the pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after	आपके पत्र सं0 274/12–1(2) दिनॉक 13.07.2021 द्वारा वृक्षों के छपान के निर्देश प्राप्त हैं। शेष सूचनायें आपके प्रभाग से सम्बन्धित है।

	the expiry of one year from the date of issue of such permission.	
8	परियोजना के तहल प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित / जमा किये जाएंगे।	**शर्त संख्या–8** के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से रू 4936713.00 की धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर लिये गये है। चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक सं0 3)।
9.	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	**शर्त संख्या–9** के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
10.	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	**शर्त संख्या–11** के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	**शर्त संख्या–12** के अनुपालन में पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त किया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
12.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायेगा।	10. **शर्त संख्या–10** के अनुपालन में आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	**शर्त संख्या–13** के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
14	वन भूमि एवं आस पास की भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	**शर्त संख्या–14** के अनुपालन में वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायगा।	**शर्त संख्या–15** के अनुपालन में राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
16	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	**शर्त संख्या–16** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	**शर्त संख्या–17** के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	**शर्त संख्या–18** के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	**शर्त संख्या–19** के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	**शर्त संख्या–20** शर्त सं0 20 से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी	**शर्त संख्या–21** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	**शर्त संख्या–22** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	**शर्त संख्या–23** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

24	अनुपालन में अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	**शर्त संख्या–24** के अनुपालन में अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर ली गयी है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

अतः अनुरोध है कि मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्न–उपरोक्तानुसार 5–5 प्रतियों में।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

पत्रांकः– /7सी0 तद्‌दिनॉक

प्रतिलिपिः–सहायक अभियंता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............1

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............2

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के लिये आंवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद वन भूमि सौंपी जाएगी। इस कथन से प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

संलग्नक – 3

Challan

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank of India

आंध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 31-03-2021

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	EXECUTIVE ENGINEER
PIF/Application No.	6139213693
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/122/2020/FC
Address.	Provincial Division P.W.D., AlmoraAlmora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepdalmora@rediffmail.com 7533877888 5962-2320033
Amount(in Rs)	849413/-
Beneficiary Branch and Code	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)

Amount in Words Eight Lakh Forty Nine Thousand Four Hundred and Thirteen Rupees Only

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा

Depositor Signature

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

may send a line of confirmation through Email: helpd

challan, if the payment status has not been updated e collection date to

5455 40699

Tran id.

12/04/2021

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India अल्मोड़ा शाखा Almora Branch (U.K.)

छाया प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
अल्मोड़ा

Funds to be deposited in Govt. Exchequer

Help

Click on **Generate Challan** to generate challan.

Paid : This icon shows that the payment has been deposited.

To be Paid : This icon shows that the payment of this yet to be made.

Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.

◉**Proposals received on or after 15th July 2014**○**All Proposals received upto 14th July 2014**

Sno.	Proposal No.	Application No	Application No (New)	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Verified Date	Action
1	FP/UK/ROAD/19495/2016	ROAD194952016632	6119495632	Construction of Champakhali-Dolpokhara Motor Road in Someswer constituency,Distt Almora (Length 2.150KM)	Road	2	EXECUTIVE ENGINEER	28-12-2021	14-1-2022	Generate Challan (fund_payment.aspx? pid=GT7gH4v61m47o5sbySg+YBP8IzfubO9pb4c3n5ndI1p7mZw3THgvqo5Lc6T
2	FP/UK/ROAD/50526/2020	ROAD505262020590	6150526590	Naula To Salla Rautela Motor Road In Almora Disst.	Road	0.38	EXECUTIVE ENGINEER	12-10-2021	16-12-2021	Generate Challan (fund_payment.aspx? pid=GT7gH4v61m47o5sbySg+YKVeaQkht7/1BkL/fBI3O/kpURhOeygS6jmOrOi4
3	FP/UK/ROAD/8702/2014	ROAD87022014306	6187020306	Construction of katarmal to syuna simalta Pattharkot motor road	Road	0.464	EXECUTIVE ENGINEER	09-8-2021	15-9-2021	Generate Challan (fund_payment.aspx? pid=GT7gH4v61m47o5sbySg+YCA3/JV2wmJbvW9BaU7TqK8G+fN0w+K+3KGa
4	FP/UK/ROAD/16206/2015	ROAD162062015330	6116206330	Construction of Aeroli-Morpatyudi Motor Road in Distt. almora	Road	1.62	EXECUTIVE ENGINEER	09-4-2021	29-7-2021	Paid
5	FP/UK/ROAD/16999/2015	ROAD169992015279	6116999279	Construction of Kathpuriya to kalodiya (Katunia) Motor Road.Length(1.850km)	Road	0.536	EXECUTIVE ENGINEER	27-1-2021	19-6-2021	Paid
6	FP/UK/ROAD/44236/2020	ROAD442362020663	6144236663	CONSTRACTION OF KARNATAK KHOLA TO RAILAPALI AND CONNECTING SARKAR KI AALI TO VIKASH BHAWAN MOTER ROAD LENGTH 3.00KM	Road	0.925	EXECUTIVE ENGINEER	15-10-2020	01-4-2021	Paid
7	FP/UK/ROAD/17001/2015	ROAD170012015577	6117001577	Consturction of Baga-Palna-Anariyakot-Katyari- Chonli and Guna to Jaskot Motor Road. (ength 2.500km)	Road	0.554	EXECUTIVE ENGINEER	22-9-2020	31-3-2021	Paid
8	FP/UK/ROAD/39213/2019	ROAD392132019693	6139213693	Majkhali-Digoti motor Road to Majethi Village Motor Road(Length 4.00KM)	Road	0.638	EXECUTIVE ENGINEER	13-10-2020	31-3-2021	Paid
9	FP/UK/ROAD/44176/2020	ROAD441762020394	6144176394	Construction of Dhautigad Panchgav Syura Link Motor Road Length 6.00KM	Road	3.708	EXECUTIVE ENGINEER	28-12-2020	31-3-2021	Paid
10	FP/UK/ROAD/42092/2019	ROAD420922019151	6142092151	Shitlakhet Bora State To Syahi devi Temple Motor Road in Disst. Almora Length 3.800KM	Road	0.125	EXECUTIVE ENGINEER	14-9-2020	02-10-2020	Paid
11	FP/UK/ROAD/11278/2015	ROAD112782015735	6111278735	kathpuria bangsar motor road (length 3.00 km)	Road	2.095	EXECUTIVE ENGINEER	16-3-2020	26-8-2020	Paid
12	FP/UK/ROAD/42915/2019	ROAD429152019834	6142915834	KARBALA TO MAL MOTOR ROAD LENGTH 4.00KM	Road	1.953	EXECUTIVE ENGINEER	11-8-2020	20-8-2020	Paid
13	FP/UK/ROAD/11569/2015	ROAD115692015214	6111569214	dwarso - kakrighat motor road to turkoda motor road length 2.00 km.	Road	0.588	EXECUTIVE ENGINEER	16-4-2019	29-8-2019	Paid
14	FP/UK/ROAD/16996/2015	ROAD169962015108	6116996108	Construction of Jalna to TRC Toli Motor Road. (length-3.00KM)	Road	0.858	EXECUTIVE ENGINEER	31-10-2018	29-8-2019	Paid
15	FP/UK/ROAD/16998/2015	ROAD169982015810	6116998810	Construction of Dwarso-Kakrighat to Digoli Kanda Eda Motor Road Length 6.00km	Road	0.975	EXECUTIVE ENGINEER	31-12-2018	10-3-2019	Paid

123

बिन्दु सं0............4

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन बिभाग के पक्ष में जमा करा दिया जायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0.............5 ख

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बृद्धि होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता एजेंन्सी सहमत है।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि में 43 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

सहायक अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।	अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............8

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के तहल प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जाएंगे।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............9

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............11

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त किया जायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............12

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............13

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट नहीं बदला जाएगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............14

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0..........15

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............16

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............18

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............20

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0............22

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

बिन्दु सं0......

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

सहायक अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियंता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।